School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) दे खए)

कार्यालय, जिला शक्षा अ धकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक:/892511163/स्कूल आई.डी. - 19111 दिनांक:- 11/04/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(CHRIST CHURCH GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL)

वषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -CHRIST CHURCH GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL, SLEEMAN ROAD, NORTH CIVIL LINES, JABALPUR को कक्षा KG-I से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालाव ध के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में यव क्षत नहीं होगी।
- स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के व ंचत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवे चत बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारं भक शक्षा देगा जिस रूप में उसके वा षक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वा षक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शक्षा दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ किसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तारित कालाव ध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्का सत नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को शारीरिक या मान सक रूप से प्रता ड़त नहीं किया जाएगा;
  - प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारं भक शक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्त/वशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शक्षक इस अ धनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अव ध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शक्षकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन वनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धयों में शक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समु चत प्रा धकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अ धनियम की धारा 19 में वहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सु वधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

3/ वर्तमान कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं–

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबंधितो द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31.12.20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner